संख्या एवी.13011/03/2013-ईआर

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

*****

बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,

नई दिल्ली, दिनांक : 28 अक्टूबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : एयर फ्रेट स्टेशन पर नीतिगत दिशानिर्देश

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हाल में शुरू की गई पहलों में से एक देश में एयर कार्गो लॉजिस्टिक की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने से संबंधित है। इस संदर्भ में, एयर फ्रेट स्टेशन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो की चढ़ाई – उतराई के लिए आफ एयरपोर्ट सामान्य प्रयोक्ता सुविधा सृजित करने की पहल की गई है। सक्षम प्राधिकारी ने हितधारकों के साथ तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों / विभागों के साथ व्यापक परामर्श के बाद एयर फ्रेट स्टेशन पर नीतिगत दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया है।

2. एयर फ्रेट स्टेशन (ए एफ एस) एक आफ एयरपोर्ट सामान्य प्रयोक्ता सुविधा है जो आयात एवं निर्यात कार्गो आदि के अस्थाई भंडारण तथा चढ़ाई – उतराई के लिए सेवाएं प्रदान करने तथा न्यूनतम अपेक्षाओं के नियत संस्थापन से लैस है। एयर फ्रेट स्टेशन समुद्री कार्गो के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो (आई सी डी) का समकक्ष है। एयर फ्रेट स्टेशन की यह पहल कुछ गेटवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अधिक ड्वेल टाइम से जूझ रहे हैं, में भीड़-भाड़ वाले एयर कार्गो टर्मिनल को भीड़-भाड़ से बचाने के अलावा देश के मुख्य क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो प्रचालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल माहौल का सृजन करेगी।

3. नीतिगत दिशानिर्देश के साथ एयर फ्रेट स्टेशन स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र भी संलग्न है।

4. एयर फ्रेट स्टेशन को अभिशासित करने वाले ये नीतिगत दिशानिर्देश सामान्य तथा इंटरनेशनल एयर कार्गो प्रचालन जैसे कि एयर लाइन्स, एयर कार्गो टर्मिनल प्रचालक, एयर पोर्ट प्रचालक, फ्रेट फारवर्डर / कस्टम ब्रोकर, निर्यातक / आयातक तथा सभी विनियामक संगठनों की आपूर्ति श्रृंखला में सभी संबंधित हितधारकों पर बाध्यकारी होंगे।

5. यह सूचना तथा अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए है।

(यू के भारद्वाज)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंबर : 24610359

संलग्नक : यथोपरि

प्रति प्रेषित :

1. श्री नृपेंद्र मिश्र, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक, रायसीन हिल्स, नई दिल्ली – 110 001
2. श्री शक्तिकांत दास, सचिव (राजस्व), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली – 110 001
3. श्री राजीव खेर, सचिव, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110 001
4. श्री अशोक लवासा, सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110 003
5. श्री लव वर्मा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, सी-विंग, नई दिल्ली – 110 001
6. श्री आशीष बहुगुणा, सचिव, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110 001
7. श्री विजय छिब्बर, सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110 001
8. श्री विश्वपति त्रिवेदी, सचिव, जहाजरानी मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110 001
9. श्री अरूण कुमार पांडा, संयुक्त सचिव (औषधि गुणवत्ता नियंत्रण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110 001
10. श्रीमती जे एम शांति श्रीधरन, अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली – 110 001
11. डा. प्रभात कुमार, महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, सफदरजंग एयरपोर्ट के सामने, नई दिल्ली
12. श्री सुधीर रहेजा, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सी-ब्लाक, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली
13. श्री आलोक शेखर, सचिव, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, एईआरए भवन, प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली – 110 003

14. श्री अरूणेंद्र कुमार, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली – 110 001
15. श्री बी बी दास, संयुक्त प्रतिभूति आयुक्त, नागर विमानन प्रतिभूति ब्यूरो, जनपथ भवन, नई दिल्ली
16. श्री अरविंद भटनागर, निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय विपणन एवं प्रचालन), कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कांकोर भवन, सी-3, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली – 110 076
17. श्री टी के दोशी, निदेशक (विपणन एवं कारपोरेट आयोजना), केंद्रीय मालगोदाम निगम, 4/1, सिरी संस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110 016
18. श्री उज्ज्वल डे, सह निदेशक, भारतीय एयर लाइंस परिसंघ, 1-1734, प्रथम तल, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली – 110 019
19. श्री एस एल शर्मा, अध्यक्ष, एयर कार्गो एजेंट एशोसिएशन आफ इंडिया, 28-बी, नरीमन भवन, नरीमन प्वाइंट, मुंबई – 400 021
20. श्री अमित कामत, अवैतनिक सचिव, फेडरेशन आफ फ्रेट फारवर्डर्स एसोसिएशन इन इंडिया, 311-313, महिंद्र चैंबर्स, डब्ल्यू टी पाटिल मार्ग, चेंबूर, मुंबई – 400 071
21. श्री विपिन जैन, अध्यक्ष, बी ए आर – इंडिया कार्गो कमेटी, केयर आफ लुफ्तांसा कार्गो, ए जी, कमरा नंबर 202 – 204, कार्गो काम्पलेक्स, निर्यात भवन, आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली – 110 037
22. श्री प्रदीप पाणीकर, अध्यक्ष, एयर कार्गो फोरम आफ इंडिया, कमरा नंबर 25, भूतल, परियोजना कार्यालय, नया उड़ान भवन, टर्मिनल-3 के सामने, आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली – 110 037
23. श्री एस राघवन, सचिव, साउथ इंडिया चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय चेंबर भवन, संख्या 6, एस्प्लांडे, चेन्नई – 600 108
24. श्री तुषार जानी, अध्यक्ष, कार्गो हैंडलर एसोसिएशन आफ इंडिया, 201, नवरत्न भवन, 69, पी डी मेलो रोड, मुंबई – 400 009
25. श्री सत्यन नय्यर, महा सचिव, ए पी ए ओ, 710, सातवां तल, सूर्यकिरण भवन, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110 001
26. श्री अरविंद एम नायक, अध्यक्ष, डी ए सी सी ए आई, 5 सी / 105 – मित्तल इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई – 400 059
27. प्रबंध निदेशक, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डी आई ए एल), नया उड़ान भवन, टर्मिनल-3 के सामने, आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली – 110 037
28. प्रबंध निदेशक, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एम आई ए एल), छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्रथम तल, टर्मिनल - 1 बी, शांताक्रूज (पूर्व), मुंबई – 400 099

29. प्रबंध निदेशक, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (सी आई ए एल), कोच्चि एयरपोर्ट डाकघर, अर्नाकुलम – 682 111 (केरल)
30. प्रबंध निदेशक, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एच आई ए एल), राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, परियोजना कार्यालय, शमसाबाद, हैदराबाद – 500 409
31. प्रबंध निदेशक, बंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (बी आई ए एल), देवनहल्ली, प्रशासनिक ब्लाक, केंपागौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बंगलौर – 560 300
32. सभी अंतर्राष्ट्रीय एयर लाइन्स
33. प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया लिमिटेड, पी टी आई बिल्डिंग, 4, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110 001

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. माननीय नागर विमानन मंत्री के निजी सचिव / ओ एस डी
2. माननीय राज्य मंत्री के निजी सचिव / ओ एस डी
3. सचिव के प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
5. सभी संयुक्त सचिव / आर्थिक सलाहकार

फाइल संख्या एवी.13011/03/2013-ईआर

नागर विमानन मंत्रालय

*****

दिनांक : 28 अक्टूबर, 2014

एयर फ्रेट स्टेशन (ए एफ एस) पर नीतिगत दिशानिर्देश

1.01 एयर फ्रेट स्टेशन की संकल्पना

एयर फ्रेट स्टेशन (ए एफ एस) लोड किए गए आयात / निर्यात माल की उतराई – चढ़ाई तथा अस्थाई भंडारण के लिए सेवाएं प्रदान करने तथा न्यूनतम अपेक्षाओं के नियत संस्थापन तथा खाली यूनिट लोड डिवाइस (यू एल डी) तथा घरेलू खपत के लिए बल्क / लूज कार्गो, भंडारण, अस्थाई प्रवेश, पुन: निर्यात, आगे भेजने तथा एकमुश्त निर्यात के लिए सुविधाओं से लैस एक आफ एयरपोर्ट सामान्य प्रयोक्ता सुविधा है। एक्सप्रेस कंपनियों के मामले में एक्सप्रेस कार्गो के लिए एक समर्पित एयर फ्रेट स्टेशन हो सकता है अथवा वे एयर कार्गो को चढ़ाने – उतारने के लिए आई सी डी या सामान्य कार्गो के लिए आशयित एयर फ्रेट स्टेशन का भी प्रयोग कर सकती हैं। एयर फ्रेट स्टेशन की यह पहल अधिक ड्वेल टाइम से जूझ रहे कुछ गेटवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भीड़-भाड़ वाले एयर कार्गो टर्मिनल में भीड़-भाड़ को समाप्त करने के अलावा देश के मुख्य क्षेत्रों तक पहुंच के माध्यम से इंटरनेशनल एयर कार्गो प्रचालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल माहौल का सृजन करेगी। इंटरनेशनल एयर कार्गो प्रचालन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ आई सी डी को विशेष रूप से अधिकृत करके भी इन आई सी डी में विद्यमान सुविधाओं का पूरी तरह उपयोग किया जा सकता है। एयर फ्रेट स्टेशन को अभिशासित करने वाले ये नीतिगत दिशानिर्देश सामान्य तथा इंटरनेशनल एयर कार्गो प्रचालन जैसे कि एयर लाइन्स, एयर कार्गो टर्मिनल प्रचालक, एयरपोर्ट प्रचालक, फ्रेट फारवर्डर / कस्टम ब्रोकर, निर्यातक / आयातक तथा सभी विनियामक संगठनों की आपूर्ति श्रृंखला में सभी संबंधित हितधारकों पर बाध्यकारी होंगे।

1.02 एयर फ्रेट स्टेशन के कार्य

एयर फ्रेट स्टेशन के प्राथमिक कार्यों को संक्षेप में यहां नीचे वर्णित किया गया है :

(क) प्रोसेसिंग के लिए निर्यात कार्गो की प्राप्ति तथा निर्यात कार्गो की यू एल डी (यूनिट लोड डिवाइस) निर्माण तथा कार्गो की स्कैनिंग सहित "ढुलाई के लिए तैयार'' की स्थिति में निर्मित करना। हालांकि यूनिट लोड डिवाइस एयर फ्रेट स्टेशन के लिए तथा एयर फ्रेट

स्टेशन से कार्गो की चढ़ाई – उतराई के लिए आदर्श विधि होगी, पैलेट / यू एल डी तथा बल्क / लूज फार्म में निर्यात / आयात कंसाइनमेंट को भी सुगमता प्राप्त होगी।

(ख) सर्विंग एयरपोर्ट को तथा सर्विंग एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा ट्रांजिट प्रचालन

(ग) जरूरत के अनुसार कार्गो का निरीक्षण सहित आयात और निर्यात के लिए कस्टम से संबंधित सभी अपेक्षाएं

(घ) कार्गो की यूनिट तैयार करना

(ङ) कार्गो का अस्थाई भंडारण तथा यूनिट लोड डिवाइस (यू एल डी)

(च) निर्यात कार्गो की यू एल डी का पुन: निर्माण

(छ) आयात कार्गो की डिस्टफिंग

(ज) आयात कार्गो का भंडारण, जांच, पैकिंग और डिलीवरी

(झ) क्लीयर न किए गए 30 दिन पुराने आयात कार्गो की नीलामी / निस्तारण

(ञ) यूनिट लोड डिवाइसों का अनुरक्षण एवं मरम्मत

संक्षेप में, कस्टम से संबंधित गतिविधियों जैसे कि शुल्कों का निर्धारण, जांच, भुगतान आदि सहित आयात एवं निर्यात कार्गो का सभी क्लीयरेंस एयर फ्रेट स्टेशन पर उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कि किसी अन्य कस्टम स्टेशन में होता है। इसके अलावा, सीमा शुल्क प्राधिकारियों, अन्य सीमा पारीय विनियामक एजेंसियों जैसे कि पादप संघरोध कार्यालय, औषधि नियंत्रक का कार्यालय आदि को भी उसी परिसर में संबंधित ए एफ एस उद्यम द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। उदाहरण के लिए, इसके तहत तत्काल निरीक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए स्थान शामिल हो सकता है तथा क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए।

1.03 एयर फ्रेट स्टेशन का लोकेशन

इन दिशानिर्देशों में निहित सभी विनियामक अपेक्षाओं के पालन के अधीन भारत में कहीं भी ग्रीन फील्ड एयर फ्रेट स्टेशन की सुविधा स्थित हो सकती है। विद्यमान आई सी डी जो पहले से ही कस्टम द्वारा अधिसूचित हैं, में भी एयर फ्रेट स्टेशन स्थापित करने की अनुमति होगी।

1.04 एयर फ्रेट स्टेशन स्थापित करने के लिए पूर्वापेक्षाएं

(क) स्थान संबंधी आवश्यकता

(i) एयर फ्रेट स्टेशन केवल निर्यात कार्गो या आयात कार्गो की चढ़ाई एवं उतराई के लिए स्थापित किए जा सकते हैं अथवा आयात एवं निर्यात दोनों प्रकार के कार्गो के लिए भी स्थापित किए जा सकते हैं। आयात कार्गो या निर्यात कार्गो के लिए भूमि संबंधी

आवश्यकताएं इस बात पर निर्भर होंगी कि कितनी मात्रा में कार्गो को उतारने एवं चढ़ाने की अपेक्षा है। कार्गो टर्मिनल पर थ्रोपुट दक्षता के लिए सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रत्येक वर्ग मीटर के अनुसार उतारे और चढ़ाए गए माल को टन में मापा जाता है जो वर्ष में उस टर्मिनल में चढ़ाए और उतारे गए कार्गो की मात्रा से जुड़ा है।

(ii) टियर-2 शहरों में अधिकांश इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल में एयर कार्गो के लिए उपलब्ध कवर्ड एरिया के आधार पर तथा इस मुद्दे पर हितधारकों से प्राप्त फील्ड बैक को ध्यान में रखते हुए निर्यात कार्गो के लिए अपेक्षित कवर्ड स्पेस का न्यूनतम क्षेत्रफल कम से कम एक हजार वर्ग मीटर होगा तथा यदि उसी एयर फ्रेट स्टेशन में आयात कार्गो को भी चढ़ाने एवं उतारने का प्रस्ताव है, तो कवर्ड स्पेस का एक और एक हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(iii) जहां तक एयर फ्रेट स्टेशन की तरह अतिरिक्त प्राधिकार प्राप्त करने वाली विद्यमान आई सी डी का संबंध है, वे ट्रैफिक की आवश्यकता के अनुसार ए एफ एस कार्गो को हैंडल करने के लिए अतिरिक्त स्थान आबंटित कर सकती हैं।

(iv) एयर फ्रेट स्टेशन स्थापित करने की इरादा रखने वाली संस्थाएं किसी ऋणग्रस्तता से मुक्त अपेक्षित मात्रा में उपयुक्त भूमि के स्वामित्व का प्रमाण अथवा परिसर जिसमें एयर फ्रेट स्टेशन को स्थापित करने का प्रस्ताव है, का पट्टा अभिलेख प्रस्तुत करेंगी।

(ख) कार्यभार से संबंधित आवश्यकता

(i) एयर फ्रेट स्टेशन की स्थापना के तहत हैंडल किए जाने वाले एयर कार्गो की अनुमानित मात्रा की दृष्टि से परियोजना की संभाव्यता को ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) अन्य आवश्यकताएं

(i) चूंकि एयर फ्रेट स्टेशन सीमा शुल्क अधिसूचित होगा, इसलिए यह सीमा शुल्क क्षेत्र में कार्गो की हैंडलिंग संबंधी विनियम 2009 (यथा संशोधित) द्वारा अभिशासित होगा जो बुनियादी अवसंरचना आदि सहित विभिन्न आवश्यकताएं विस्तार से विहित करता है। यह विनियम आद्योपांत है और सभी सीमा शुल्क अधिसूचित प्रचालकों द्वारा इसका अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। अत: इस दिशानिर्देश में अवसंरचना आदि से संबंधित आवश्यकताओं का और विस्तार से उल्लेख करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ii) यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डिजाइन और ले आउट कार्गो के आयात और निर्यात के प्रवाह के अनुरूप हो और कारोबार की शुरूआती मात्रा, निकट भविष्य में

अनुमानित मात्रा तथा आयातकों / निर्यातकों के लिए अपेक्षित सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।

(iii) आर्दश रूप में एयर फ्रेट स्टेशन की सुविधाओं में भविष्य में व्यापार की मात्रा में वृद्धि होने पर विस्तार की संभावना होनी चाहिए। एयर फ्रेट स्टेशन में एक महत्वपूर्ण सुविधा जो विशेष रूप से निर्यात कार्गो के लिए अपेक्षित है, स्कैनिंग के उपकरणों तथा उस सुविधा को प्रचालित करने के लिए प्रशिक्षित स्क्रीनर से संबंधित है। यदि निर्यात कार्गो की गतिविधि को एयर फ्रेट स्टेशन पर हैंडल करने का प्रस्ताव नहीं है, तो स्कैनिंग सुविधा से संबंधित अपेक्षा लागू नहीं होती है। यदि क्षरणशील वस्तुओं को शामिल करने का प्रस्ताव है, तो पादप संगरोध निदेशालय के अनुसार आवश्यकता लागू होगी।

(iv) एयर फ्रेट स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रस्तावों के अनुमोदन में वित्तीय स्थिति, कानूनी अनुपालन आदि की दृष्टि से प्रमोटर की विश्वसनीयता को ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) एयर फ्रेट स्टेशन को अभिशासित करने वाला विनियामक परिवेश

(i) इन दिशानिर्देशों के तहत एयर कार्गो को हैंडल करने के लिए विशेष रूप से मान्यता प्राप्त ग्रीन फील्ड एयर फ्रेट स्टेशन अथवा आई सी डी (1) नागर विमानन मंत्रालय के नीतिगत दिशानिर्देशों तथा वाणिज्य विभाग की अंतर मंत्रालयी समिति (आई एम सी) की एडवायजरी जो समय – समय पर एयर फ्रेट स्टेशन से संबंधित विभिन्न मामलों पर जारी की सकती है, (2) सीमा शुल्क क्षेत्र में कार्गो की हैंडलिंग संबंधित विनियम 2009 (यथा संशोधित), (3) निर्यात कार्गो की सुरक्षा को अभिशासित करने वाले नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बी सी ए एस) के विनियमों का अनुपालन करेंगे। इसके अलावा, ग्रीन फील्ड एयर फ्रेट स्टेशन में कार्यभार के आधार पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले स्टाफिंग के मानकों के अनुसार लागत वसूली के आधार पर सीमा शुल्क के कर्मचारी तैनात किए जाएंगे।

(ii) एयर फ्रेट स्टेशन के प्रचालन के लिए अपेक्षित आई टी / ई डी आई सहायता आवश्यक है। इसलिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) / प्रणाली निदेशालय, सी बी ई सी तथा संबंधित क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि यह उपलब्ध है।

(iii) केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क आयुक्त एयर फ्रेट स्टेशन में सीमा शुल्क की एक समान प्रक्रियाएं विहित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे।

(iv) एयर पोर्ट प्रचालक तथा एयर कार्गो टर्मिनल प्रचालक अनुमोदित ए एफ एस सुविधा से निर्यात के मामले में बल्क कार्गो के लिए पैटलाइज्ड यू एल डी स्वीकार करेंगे तथा एयर साइड में इसके अंतरण को सुगम बनाएंगे। भूमि से एयर साइड तक इसके अंतरण और विलोमत: के लिए विशेष रूप से ढुलाई के लिए तैयार निर्यात कार्गो के संबंध में एयर फ्रेट स्टेशन से प्राप्त / एयर फ्रेट स्टेशन के लिए आशयित कंसाइनमेंट / कार्गो पर पूर्ण टी एस पी प्रभार लगाने पर जोर नहीं देंगे क्योंकि एयर पोर्ट टर्मिनल पर किसी मूल्य अभिवृद्धि की परिकल्पना नहीं है। टी एस पी प्रभारों को अनुमोदित करते समय ए ई आर ए ट्रांजिट, भंडारण एवं प्रोसेसिंग प्रभारों का ब्यौरा प्रदान करेगा।

(v) संबंधित एयर पोर्ट पर एयर कार्गो टर्मिनल प्रचालक एयर फ्रेट स्टेशन से प्राप्त / एयर फ्रेट स्टेशन के लिए आशयित निर्मित यू एल डी / कंसाइनमेंट की हैंडलिंग के लिए कुछ स्थान अभिचिन्हित करेगा और आबंटित करेगा तथा निर्यात को सरल बनाने के लिए स्टेराइल एरिया तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा।

(vi) ऐसे मामलों में, जहां इन दिशानिर्देशों के तहत एयर कार्गो की हैंडलिंग के लिए विद्यमान आई सी डी को विशेष रूप से मान्यता प्रदान की गई है, इस मद में कोई अतिरिक्त सीमा शुल्क लागत वसूली प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(vii) एयर फ्रेट स्टेशन मूव करने वाले निर्यात कार्गो की स्कैनिंग का कार्य स्वयं एयर फ्रेट स्टेशन में पूरा किया जाएगा तथा समग्र प्रयोजन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रचालन को मुख्य भूभाग से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक ले जाने के लाभों को ध्यान में रखते हुए बी सी ए एस द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

(viii) एयर फ्रेट स्टेशन के विकास के अपेक्षित स्वरूप तथा निर्यातकों एवं आयातकों के लिए उपलब्ध विकल्प को ध्यान में रखते हुए एयर फ्रेट स्टेशन के प्रचालक द्वारा संपन्न किए जाने वाले विभिन्न प्रचालनों के लिए लागू प्रभारों का निर्धारण बाजार की ताकतों द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार वहन किया जाएगा।

(ङ) एयर फ्रेट स्टेशन के अनुमोदन तथा इसके कार्यान्वयन की प्रक्रियाएं

(i) सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाली संस्था द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर तथा इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एयर फ्रेट स्टेशन की स्थापना के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए आई सी डी / सी एफ एस के अनुमोदन के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा एयर फ्रेट स्टेशन की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

(ii) आवेदन के साथ एक संभाव्यता रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें संस्था की कारोबार योजना हो। अंतर – मंत्रालयी समिति द्वारा आवेदन की प्राप्ति तथा अनुमोदन पर वाणिज्य विभाग द्वारा मंजूरी पत्र (एल ओ ए) जारी किया जाएगा। यह एक साल की अवधि के लिए मान्य होगा तथा अंतर – मंत्रालयी समिति द्वारा एक और साल के लिए समय विस्तार पर विचार किया जाएगा, यदि समय बढ़ाने के लिए मान्य कारण होंगे। यदि बढ़ाई गई अवधि के अंदर प्रचालन शुरू नहीं होंगे, तो उस संस्था को जारी किया गया मंजूरी पत्र अमान्य समझा जाएगा। मंजूरी पत्र की शर्तों के किसी दुरूपयोग या उल्लंघन या अतिलंघन की स्थिति में मंजूरी पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

(iii) ई डी आई कनेक्टिविटी में शामिल लोड तथा वित्तीय मामलों में शामिल करने के लिए मंजूरी पत्र की प्रति सदस्य (कंप्यूटरीकरण) / महानिदेशक, सिस्टम, सी बी सी को समय से प्रेषित की जाएगी। मंजूरी पत्र की प्रति महानिदेशक, एच आर डी, सी बी सी तथा संबंधित सीमा शुल्क आयुक्त को भी भेजी जाएगी।

(iv) अवसंरचना के तैयार हो जाने पर इसके 30 दिन के अंदर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के तहत एयर फ्रेट स्टेशन को अधिसूचित करेगा। इसके बाद, आयात / निर्यात किए जाने वाले माल को चढ़ाने और उतारने के लिए कस्टम एरिया तथा कस्टोडियन की नियुक्ति को निर्दिष्ट करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 8 और धारा 45 के तहत अनुमोदन तुरंत ही स्टाफ की संस्वीकृति की पुष्टि के अधीन क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा जारी किए जाएंगे।

(v) सीमा शुल्क स्टेशन के रूप में एयर फ्रेट स्टेशन की अधिसूचना पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, प्रणाली निदेशालय तथा क्षेत्राधिकार वाले संबंधित आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि उस स्टेशन पर अपेक्षित संख्या में संस्वीकृत कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वे किसी विलंब के बगैर एयर फ्रेट स्टेशन से ई डी आई कनेक्टिविटी का भी सुनिश्चय करेंगे।

(vi) आवेदक संस्था से आवेदन की प्राप्ति से 30 दिन के अंदर एयर फ्रेट स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बी सी ए एस निर्णय लेगा और अपने अनुमोदन से अवगत कराएगा।

(vii) एयर फ्रेट स्टेशन द्वारा कार्य आरंभ होते ही वाणिज्य विभाग तथा नागर विमानन मंत्रालय की अंतर – मंत्रालयी समिति को इसके बारे में अधिसूचित किया जाएगा तथा ए एफ एस प्रचालक वाणिज्य विभाग तथा नागर विमानन मंत्रालय दोनों को आवधिक आधार पर ऐसे आयात एवं निर्यात का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा जो तिमाही आधार पर हुआ है।

एयर फ्रेट स्टेशन स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र
(कृपया आवेदन पत्र को भरने से पूर्व दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें)

1.	एयर फ्रेट स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव करने वाले संगठन का नाम तथा टेलीफोन / फैक्स / ईमेल / मोबाइल नंबर के साथ पता (कृपया ब्यौरा प्रदान करें)	:	
2.	आवेदन करने वाले संगठन की वर्तमान स्थिति	:	
3.	क्या यह ग्रीन फील्ड सुविधा है अथवा इन दिशानिर्देशों के तहत एयर कार्गो को हैंडल करने के लिए किसी विद्‌यमान आई सी डी को विशिष्ट रूप से मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन है? कृपया ब्यौरा प्रदान करें।	:	
4.	प्रस्तावित एयर फ्रेट स्टेशन किसलिए है : (क) केवल निर्यात (सभी मदें) (ख) केवल निर्यात (क्षरणशील वस्तुओं को छोड़कर) (ग) केवल आयात (घ) उपर्युक्त (क) और (ग) के लिए (ङ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के लिए	:	
5.	स्थान (पता) जहां एयर फ्रेट स्टेशन को स्थापित करने का प्रस्ताव है	:	
6.	निकटतम इंटरनेशनल / कस्टम एयरपोर्ट से दूरी के साथ साइट का लोकेशन (लोकेशन तथा एयरपोर्ट से लिंक को दर्शाने वाला मैप संलग्न करें)	:	
7.	क्या एयर फ्रेट स्टेशन स्थापित करने के लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है? यदि हां, तो (क) भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) (ख) कवर्ड एरिया (वर्ग मीटर में) (ग) स्वामित्व का स्वरूप – निजी / किराए पर / पट्‌टे पर (घ) यदि नहीं, तो किस तरह भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है	:	

	(ङ) यार्ड में सर्कुलेशन के लिए खुला स्थान, पेव्ड / अनपेव्ड		
8.	सीमा शुल्क आयुक्तालय का पता, जिसका प्रस्तावित एयर फ्रेट स्टेशन पर क्षेत्राधिकार है	:	
9.	फ्रेट फारवर्डर, कैरियर आदि के नाम जो इस प्रस्तावित एयर फ्रेट स्टेशन से / तक प्रचालन के लिए इच्छुक हैं	:	
10.	आधारभूत सुविधाएं (क) तौलने की सुविधा (ख) गेट हाउस और सिक्युरिटी (ग) कार्यालय के लिए स्थान (घ) पार्किंग एरिया (ङ) उपकरण (कृपया ब्यौरा प्रदान करें)	:	उपलब्ध / सृजित करने के लिए प्रस्तावित
11.	शुरूआती वर्षों में हैंडल करने के लिए प्रस्तावित कार्गो की मात्रा	:	निर्यात (मीट्रिक टन में) / आयात
12.	हैंडल करने के लिए प्रस्तावित विशेष कार्गो, यदि कोई हो, जैसे कि खतरनाक माल, फार्मा, क्षरणशील पदार्थ	:	
13.	ऊपर उल्लिखित विशेष कार्गो को हैंडल करने के लिए उपयुक्त सुविधाओं की उपलब्धता	:	
14.	एयर कार्गो लाजिस्टिक के प्रचालन में आवेदक का अनुभव, यदि कोई हो	:	
15.	आवेदक की वित्तीय स्थिति (कृपया ब्यौरा प्रदान करें)	:	
16.	प्रस्तावित एयर फ्रेट स्टेशन तथा गेटवे एयरपोर्ट से और को कार्गो का लाजिस्टिक मूवमेंट (कृपया ब्यौरा प्रदान करें)	:	
17.	एयर फ्रेट स्टेशन को चालू करने के लिए अपेक्षित समय सीमा	:	
18.	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम, पदनाम, पता, टेलीफोन – मोबाइल एवं लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर तथा ईमेल आईडी)	:	

घोषणा :

ऊपर तथा इस आवेदन के साथ संलग्न अनुबंध में प्रदान की गई सूचनाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सच्ची और सही हैं।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम :

पदनाम :

मुहर :

तिथि :